कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर।

पत्रांक :– 699 / मुंगेर, दिनांक :– 15/06/2021

प्रेषकः–

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल मुंगेर।

सेवा में,

अभिषेक सिंह,
पिता– श्री संजय कुमार सिंह,
क्लब रोड, पोस्ट+थाना– नवादा,
जिला– भोजपुर।

विषय :– **मुख्य शीर्ष राज्य योजना नाबार्ड योजनान्तर्गत बरियारपुर प्रखंड के नीरपुर पंचायत के रेलवे गुमटी से लोहची हाईस्कूल तक पथ (एकरारनामा संख्या– 01SBD/2017-18) का अनुरक्षण करने के संबंध में।**

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक –1371 दिनांक–04.12.2020 एवं कार्यालय आदेश सह ज्ञापांक –555 दिनांक –22.05.2021 एवं पत्रांक 592, दिनांक 01.06.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि विषयांकित पथ चतुर्थ वर्ष के अनुरक्षण अवधि में है। प्रथम से चतुर्थ वर्ष का अनुरक्षण कार्य करने हेतु पूर्व में भी आपको कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से स्मारित किया गया है परन्तु आपके द्वारा पथ में अनुरक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है। आपके द्वारा कार्य करने में शिथिलता बरती जा रही है एवं विभागीय निदेशों की लगातार अवहेलना की जा रही है। जो आपके घोर लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है।

अतः आपको उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय निदेशानुसार अंतिम बार स्मारित किया जा रहा है कि पथ में तीन दिनों के अन्दर संबंधित अभियंताओं से व्यक्तिगत संपर्क कर उनके निदेशानुसार अपेक्षित संतोषप्रद अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना अविलम्ब सुनिश्चित किया जाय एवं दस दिनों के अन्दर पथ में उत्पन्न त्रुटियों का निराकरण किया जाय। पथ में कृत अनुरक्षण कार्य से संबंधित छाया चित्र Whatsapp या हार्ड कॉपी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेश, एकरारनामा एस0बी0डी0 की सुसंगत कंडिका 3(i), 3(v) एवं 17 के आलोक में एकरारनामा विखंडन एवं अन्य दण्डात्मक कार्रवाई किया जायेगा। साथ ही डीबार सूची एवं काली सूची में नाम डालने की अनुशंसा विभाग को कर दी जायेगी तथा पथ के अनुरक्षण कार्य में लगने वाली अतिरिक्त राशि भी आपसे वसूलनीय होगी।

विश्वासभाजन
15/6/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल मुंगेर।
15.6.